# राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004


क्रमांक : विधि प्रकोष्ठ / 2023 / दिनांक :

## परिपत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय के कोर्ट केसेज में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी अधिकारी सक्षम स्तर (कुलसचिव / कुलपति महोदय) के अनुमोदन के बिना ही जवाब सीधे ही अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर देते है जिससे प्रकरण में वांछित आवश्यक तथ्य लिखने से छूट जाते है और विश्वविद्यालय की तरफ से सही जवाब प्रस्तुत नहीं हो पाता है, जो कि विधिक रूप से उचित नहीं है।

अतः सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व सर्वप्रथम संबंधित अनुभाग / विभाग के उपकुलसचिव / विभागाध्यक्ष / शाखा प्रभारी आदि से तथ्यात्मक संस्तुति प्राप्त करें।

इसके उपरांत विधि–प्रकोष्ठ से विधिक परीक्षण करावें।

तदुपरान्त सक्षम स्तर पर (कुलपति / कुलसचिव महोदय) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें।

कुलसचिव

क्रमांक : विधि प्रकोष्ठ / 2023 / 9533-83 दिनांक : 10/10/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्राचार्य / निदेशक / आवासाधिकारी / प्रभारी, शैक्षणिक / अशैक्षणिक ईकाई, रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, रा.वि.वि., जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार / परीक्षा नियंत्रक / विश्वविद्यालय अभियंता, रा.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
5. समस्त उप–कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
6. गार्ड फाईल, विधि–प्रकोष्ठ, रा.वि.वि., जयपुर।

विधि परामर्शी (विधि प्रकोष्ठ)